उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या : 434–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2013–20–मा0सं0–01/2005 दिनांक : 01 मार्च, 2013

कार्यालय ज्ञाप

निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0: 2228–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2012–20–मा0सं0–01/2005 दिनांक 08–06–2012 द्वारा चयन वर्ष 2003–04, वर्ष 2004–05 तथा वर्ष 2005–2006 में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची अनन्तिम (Tentative) रूप से घोषित करते हुए 15 दिन में आपत्तियॉ आमन्त्रित की गई थीं। मामले में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए चयन वर्ष 2003–04 तथा वर्ष 2004–05 में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप सं0: 3103–मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2012–20–मा0सं0–01/2005 दिनांक 25–07–2012 द्वारा अन्तिम रूप से घोषित की जा चुकी है।

2– चयन वर्ष 2005–06 (दिनांक 01–07–2005 से 30–06–2006) में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की उक्त अनन्तिम पारस्परिक ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में, निगम में फरवरी, 2007 में अवर अभियन्ता पद पर संविलीन तथा संविलयन के पश्चात् बाद के चयन वर्षों में सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नत सर्वश्री सुशील प्रकाश पाठक (अभि0सं0: 200703), चन्द्र कान्त गौतम (अभि0सं0: 200740), सी0एल0 यादव (अभि0सं0: 200753), रियासत अली खान (अभि0सं0: 200713), भूपेन्द्र पाल सिंह (अभि0सं0: 200739), विजय कुमार प्रसाद (अभि0सं0: 200744), देव कुमार शुक्ला (अभि0सं0: 200748), रवि शंकर (अभि0सं0: 200716), रमेश कुमार (अभि0सं0: 200717), अनूप कुमार अग्रवाल (अभि0सं0: 200714), साजिद अली (अभि0सं0: 200708), विनोद बिहारी लाल (अभि0सं0: 200709), अशोक कुमार मित्तल (अभि0सं0: 200710), एम0जे0 सिद्दीकी (अभि0सं0: 200715), अमर नाथ सिंह (अभि0सं0: 2007111), विनोद राम (अभि0सं0: 2007043), गणेश प्रसाद (अभि0सं0: 2007042), हंस राज सिंह (अभि0सं0: 200751) ने प्रमुख रूप से निम्नवत् प्रत्यावेदन दिया है :–

(1.) निगम में आमेलित अवर अभियन्ता (वि0एवंयां0) की ज्येष्ठता सूची निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0: 389–मा0सं0–03/उनिलि/2006 दिनांक 16.02.2006 द्वारा निर्गत हुई थी।

(2.) उक्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर कई अवर अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता पद पर आदेश दिनांक 23.02.2006 द्वारा प्रोन्नति प्रदान कर दी गयी।

(3.) इस प्रोन्नति के समय वह लोग निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने निगम द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के संविलयन विनियम 2006 के अन्तर्गत निगम में स्थायी संविलयन हेतु विकल्प दिया। संविलयन विनियम 2006 में यह व्यवस्था थी कि ऊर्जा क्षेत्र के अन्य निगमों के "सेवकों" का "उत्पादन निगम" में उसी स्तर के पद पर स्थायी "संविलयन" किया जायेगा जिस स्तर पर वह "संविलयन" की तिथि को कार्यरत हों तथा उनकी वरिष्ठता इस प्रकार संविलीन सेवकों एवं "उत्पादन निगम" में पहले से ही आमेलित (संविलीन) सेवकों के सापेक्ष वही होगी जो तत्कालीन उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के अनुसार होती।

(4.) निगम में पूर्व में आमेलित एवं बाद को संविलयन अवर अभियन्ताओं की परास्परिक ज्येष्ठता सूची निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 784–मा0सं0–03/उनिलि/2007 दिनांक 23.02.2007 द्वारा घोषित हुई। इस

प्रकार घोषित ज्येष्ठता सूची में कई व्यक्ति ऐसे थे जो प्रत्यावेदनकर्ताओं से कनिष्ठ थे। लेकिन पूर्व आमेलित होने के कारण वर्ष 2006 में सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नत हो चुके थे।

(5.) एकल वरिष्ठता नियमावली तथा संविलयन विनियमावली, 2006 के प्राविधानों के अनुसार प्रत्यावेदनकर्ताओं के नाम वर्ष 2006 में पदोन्नत हुए कनिष्ठ व्यक्तियों से उपर रखे जाने चाहिए थे, लेकिन निगम ने उक्त नियमावली के प्राविधानों का पालन न करते हुए उनका नाम प्रश्नगत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में नहीं रखा है। जबकि अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता (स्तर-।।) की पदोन्नति निगम ने आमेलित एवं संविलयन अधिकारियों की परास्परिक ज्येष्ठता सूची के आधार पर किया है।

3– उपरोक्त अभिकथनों/आपत्तियों के सम्बन्ध में यह पाया गया है कि यह एक अविवादित तथ्य है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 संविलियन विनियम–2006 के अन्तर्गत प्रत्यावेदनकर्ताओं का निगम में संविलयन कार्यालय ज्ञाप सं0: 308–मा0सं0–03/उ0नि0लि0/2007 दिनांक 02–02–2007 द्वारा अवर अभियन्ता पद पर हुआ था। उक्त संविलयन विनियम, 2006 के प्राविधानों के अनुसार जिस पद पर संविलयन हुआ है, उस पद पर निगम में पूर्व आमेलित व्यक्तियों के सापेक्ष उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी, जो पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद में थी। इस प्रकार निगम ने उन्हें अवर अभियन्ता पद पर पूर्ववर्ती परिषद की वरिष्ठता बनाये रखते हुए उनकी पारस्परिक वरिष्ठता सूची निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0: 784–मा0सं0–03/उ0नि0लि0/2007 दिनांक 23–02–2007 द्वारा घोषित की तथा इस ज्येष्ठता सूची के जारी होने के बाद अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नतियॉ की जा रही हैं। प्रत्यावेदनकर्ताओं द्वारा यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि उ0प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 सपठित उ0प्र0 विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम, 2000 के अन्तर्गत निगम में आमेलित कतिपय अवर अभियन्ताओं (जिनमें से कुछ पूर्ववर्ती परिषद की ज्येष्ठता में प्रत्यावेदनकर्ताओं से कनिष्ठ भी थे) की सहायक अभियन्ता पद पर प्रत्यावेदनकर्ताओं की प्रोन्नति से पहले ही हो गई थी। निगम सेवाओं में वरिष्ठता यथा प्रयोज्य उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1998 से विनियमित होती है। उक्त विनियमावली के अन्तर्गत ज्येष्ठता अवधारण का मूल सिद्धान्त सेवा के संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता की देयता का है। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली, 1970 के अनुसार सेवा संवर्ग का प्रारम्भिक पद सहायक अभियन्ता है। इस पद पर नियुक्ति सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दो स्रोतों से होती है। उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद ज्येष्ठता विनियमावली, 1998 के अनुसार उस स्थिति में जब किसी सेवा संवर्ग में नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों स्रोतों से की जायॅ तो ज्येष्ठता का निर्धारण विनियम–8 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। ज्ञातव्य हो कि उक्त ज्येष्ठता विनियमावली का विनियम–8 किसी एक चयन के फलस्वरूप, अर्थात् एक चयन वर्ष में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण को प्रतिपादित करता है। इस विनियम के अनुसार दूसरे **(subsequent)** चयन वर्ष में पदोन्नत व्यक्तियों को पूर्व चयन वर्ष में पदोन्नत व्यक्तियों के ऊपर ज्येष्ठता देय नहीं है। चूॅकि प्रत्यावेदनकर्ता चयन वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नत हुए थे, अतः वरिष्ठता सूची में उनका नाम चयन वर्ष 2005–06 में सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नत हुए व्यक्तियों के साथ अथवा उनसे ऊपर नहीं रखा जा सकता है। जहॉ तक सहायक अभियन्ता पद से ऊपर के पदों पर की गई प्रोन्नति/ज्येष्ठता निर्धारण का सम्बन्ध है यह उल्लेखनीय है कि इन पदों पर पदोन्नति केवल एक स्रोत (पदोन्नति द्वारा) एक ही पोषक संवर्ग से की जाती है, अतः सहायक अभियन्ता से उच्च पदों पर वरिष्ठता निर्धारण में लागू व्यवस्था/प्रक्रिया सहायक अभियन्ता पद पर वरिष्ठता निर्धारण में लागू नहीं होती है। प्रत्यावेदनकर्ताओं के प्रत्यावेदन तदनुसार अस्वीकार किये जाते हैं।

आलोक

आलोक कुमार

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 434(I)–मा0सं0–01 / वि0उ0नि0लि0 / 2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीन तैनात सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को उपरोक्तानुसार सूचित कर दें :–

1– मुख्य अभियन्ता, ओबरा / अनपरा / पनकी / पारीछा / हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजनायें, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0।

2– मुख्य अभियन्ता (स्तर–I) / (स्तर–II), पी0पी0एम0एम0 / वाणिज्य / ईंधन / तापीय परिचालन / आर0एण्डएम0 / जानपद / पर्यावरण एवं सुरक्षा / कारपोरेट स्ट्रेटजी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3– मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

4– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

5– उप महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता, (मा0सं0–03), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6– सम्बन्धित अधिकारी / कट फाइल।

आज्ञा से,

(signature) 1/3/13

(प्रकाश चन्द्र अस्थाना)

अनु सचिव